ई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा

निर्वाचन सदन

भारत निर्वाचन आयोग

अशोक रोड, नई दिल्ली-**110001**

सं. **23**/पत्र/ईसीआई/प्रकार्या./ईआरडी-ईआर/**2017**(खंड-।।) दिनांक: **23** अगस्त, 2017

सेवा में

सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
(गुजरात और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर**)**

विषय: अर्हक तारीख के रूप में **01.01.2018** के संदर्भ में फोटो निर्वाचन नामावलियों का विशेष सार पुनरीक्षण-कार्यक्रम-तत्संबंधी।

महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विद्यमान नीति के अनुसार सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अर्हक तारीख के रूप में आने वाले वर्ष की पहली जनवरी के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण प्रत्येक वर्ष के बाद वाले भाग **(**साधारणतया वर्ष की अंतिम तिमाही**)** में किया जाता है ताकि निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन अगले वर्ष की जनवरी के पहले सप्ताह में किया जा सके। पुनरीक्षण अनुसूची को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि निर्वाचक नामावलियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस **(**प्रत्येक वर्ष की **25** जनवरी**)** के काफी पहले ही अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिया जाए ताकि नए निर्वाचकों विशेषत: युवा मतदाताओं **(18-19** वर्ष**)** के लिए बनाए गए एपिक उन्हें एनवीडी वाले दिन औपचारिक रूप से वितरित किए जा सकें।

2. चूंकि निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण वास्तव में निर्वाचक नामावलियों के ड्राफ्ट प्रकाशन से आरंभ होता है, विभिन्न पुनरीक्षण-पूर्व गतिविधियों को उच्च विश्वस्तता निर्वाचक नामावलियां प्राप्त करने के एकमात्र उद्देश्य से निर्वाचक नामावली के ड्राफ्ट प्रकाशन सहित निर्वाचक नामावलियां के पुनरीक्षण की वास्तविक शुरूआत से बहुत पहले ही पूर्ण कर लिया जाना अपेक्षित होता है। तद्नुसार, संशोधन-पूर्व गतिविधियां यथा ईआरओ/एईआरओ का प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण कार्यक्रम, बूथ लेवल अधिकारी की नियुक्ति और उनका प्रशिक्षण तथा उन्मुखीकरण, निर्वाचक नामावलियों में उल्लेखनीय कमियों/अंतर की पहचान और उन्हें दूर करने/हटाने के लिए कार्यनीति, विधिवत नोटिस देने के बाद अभिज्ञात बहु-प्रविष्टियों/मृत निर्वाचकों की प्रविष्टियों को हटाना, निर्वाचक नामावली में डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाने के लिए डी-डुप्लीकेशन अभियान, मतदान केन्द्रों का यौक्तिकीकरण/परिवर्तन **(**मतदान केन्द्रों के मानकीकरण और मैपिंग सहित, पार्ट/सैक्शन सीमाओं का निर्धारण, सैक्शनों का इष्तमीकरण और मतदान केन्द्रों के उन्नत डिजीटल मानचित्र तैयार करना**)**, बचे हुए निर्वाचकों जिनकी फोटो नामावली में उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिए फोटोग्राफी अभियान **(**बचे हुए निर्वाचकों की फोटो इकट्ठी करने के लिए घर-घर जाना अभियान**)**, समेकित नामावलियों के मसौदा प्रकाशन के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट बनाना औ 'सर्च' सुविधा उपलब्ध करवाना, वेबसाइट पर 'सर्च' सुविधा का मानकीकरण, कंट्रोल टेबल **(**मतदान केन्द्र अद्यतनीकरण सहित**)** और डाटाबेस का अद्यतन तथा नामावलियों का समेकन **(**निर्वाचन या गैर-निर्वाचन वर्ष का ध्यान किए बगैर**)**, स्वीप इत्यादि के लिए विस्तृत कार्य योजना की तैयारी। आयोग के दिनांक **02**

अगस्त, 2017 के पत्र संख्या **23**/पत्र/ईसीआई/प्रकार्या./ईआरडी-ईआर/**2017(**खंड-।।**)** के अनुसरण में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नियोजित की गई है और इस प्रकार से निर्धारित की गई पुनरीक्षण-पूर्व गतिविधियों की अनुसूची को निर्वाचक नामावलियों के मसौदा प्रकाशन से पूर्व इसके सफलतापूर्वक संपादन के लिए इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए। पुनरीक्षण-पूर्व गतिविधियों के समापन पर एक विस्तृत रिपोर्ट आयोग में संबंधित राज्य के प्रभारी सचिव को मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा भेजी जाएगी।

3. जैसा कि आयोग ने सभी भावी निर्वाचनों में वीवीपीएटी का प्रयोग करने का निर्णय लिया है, ग्रामीण और शहरी मतदान केन्द्रों में क्रमश: **1200** और **1400** की ऊपरी सीमा में छूट/परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। इसलिए, आयोग ने निदेश दिया है कि उक्त ऊपरी सीमा के ऊपर निर्वाचकों वाले मतदान केन्द्रों को पुनरीक्षण पूर्व गतिविधि के रूप में निरपवाद रूप से युक्तियुक्त बनाया जाएगा/आशोधित किया जाएगा। मतदान केन्द्र के यौक्तिकीकरण/आंशोधिन के लिए पार्ट सीमाओं का यौक्तिकीकरण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्वाचकों की अधिकतम संख्या पर आयोग के निदेशों के अनुसार किया जाएगा और नए मतदान केन्द्रों का सृजन पास के मतदान केन्द्र के सेक्शनों के यौक्तिकीकरण के बाद ही किया जाएगा। अवस्थिति में परिवर्तन करने के प्रस्ताव को सभी मतदान केन्द्रों के प्रत्यक्ष सत्यापन/जांच के पश्चात ही इसके देशान्तर और अक्षांश सहित आयोग को भेजा जाएगा। मतदान केन्द्रों की अवस्थिति के निर्माण/परिवर्तन के लिए प्रस्तावित और नए पहचान किए गए सभी मतदान केन्द्रों के अक्षांश और देशान्तर कैप्चर किए जाएंगे और उनके ब्योरे को र्डेशबोर्ड पर अद्यतन किया जाएगा।

4. आयोग ने अर्हक तारीख के रूप में **01** जनवरी, 2018 के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण करने का निर्णय लिया है। यह पुनरीक्षण सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों **(**गुजरात और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर**)** में विशेष सार पुनरीक्षण होगा और यह इस पत्र के साथ संलग्न**)** अनुसूची के अनुसार, आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण/निर्वाचकों के रजिस्ट्रेशन के संबंध में अनुवर्ती अनुदेशों के साथ निर्वाचक नामावली पर मैनुअल, 2016 के अनुसार किया जाएगा। आयोग द्वारा अनुमोदित अनुसूची की तारीखों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

5. डीई और सीईओ द्वारा सार पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में पर्याप्त प्रचार और जागरूकता अभियान सुनिश्चित किए जाएंगे। सभी डीईओ और सीईओ द्वारा पुनरीक्षण अनुसूची का मीडिया, राजनैतिक दल और सामाजिक संगठनों/आर डब्लू ए को उचित रूप से प्रचार प्रसार कराया जाएगा और निर्वाचक नामावलियों के मसौदा प्रकाशन की तारीख से काफी पहले व्यापक रूप से निर्वाचकों/पात्र जनसंख्या तक पहुँचाया जाएगा। मसौदा नामावलियों के प्रकाशन के प्रयोजन को प्रभावी बनाने के लिए स्वीप गतिविधियों की श्रृंखला; तालुक, जिला और राज्य स्तर पर राजनैतिक दलों के साथ समय-समय पर बैठकें और नियमित प्रेस बैठकें आयोजित की जा सकती हैं। सभी डीई और सीईओ राजनैतिक दलों के साथ अलग से बैठकें बुलाएंगे और अनुसूची की व्याख्या करेंगे तथा मसौदा प्रकाशन की तारीख से पहले उनसे अपेक्षित सहयोग मांगेगे। मसौदा प्रकाशन को उचित धूमधाम सहित अनुमोदित तारीख को ही किया जाना चाहिए और मसौदा नामावलियों की प्रतियों को प्रेस और मीडिया की उपस्थिति में सार्वजनिक बैठक के दौरान मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों को सौंपा जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से उचित पावती अवश्य प्राप्त की जाए और उसे रिकार्ड में रखा जाए।

6. मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सभी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों को विधि के महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं पुनरीक्षण की कार्य विधियों के बारे में सूचित करते हुए पत्र लिखना चाहिए और नामावली पुनरीक्षण प्रक्रिया में उनका सहयोग मांगना चाहिए। उन्हें जारी किए गए पत्र की एक प्रति रिकार्ड हेतु आयोग को पृष्ठांकित की जाए।

7. मुख्य निर्वाचन अधिकारी **(**सी.ई.ओ.**)** मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों से अनुरोध करेंगे कि वे प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए बूथ लेवल एजेंट **(**बीएलए**)** को अभिचिह्नित एवं नियुक्त करें जो बी.एल.ओ. के साथ विशेष अभियान तारीखों पर नामावली पुनरीक्षण प्रक्रिया के लिए विशेष अभियान से जुड़ेगें। इन विशेष अभियान तारीखों पर, बूथ लेवल अधिकारी संबंधित राज्य के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेन्टों के साथ प्रारूप निर्वाचक नामावली का अवलोकन करेंगे और शुद्दिधयों, आदि की पहचान करेंगे। यह उल्लेख करना सुसंगत है कि मान्यता-प्राप्त राजनैतिक दल से एक बार नियुक्त बूथ लेवल एजेंट, बीएलए के रूप में तब तक बने रहेंगे जब तक कि उनकी नियुक्ति संबंधित राजनैतिक दल द्वारा विखंडित/प्रतिसंहरित न कर दी जाए।

8. डिवीजन आयुक्त जो अपने डिवीजनों में आने वाले जिलों में निर्वाचक नामावली प्रेक्षकों के रूप में कार्य करेंगे, के अतिरिक्त, आयोग, निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण प्रक्रिया की यादृच्छिक जांच, लेखा-परीक्षा, एवं पर्यवेक्षण के लिए अपने प्रेक्षकों/भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों/नामावली लेखा-परीक्षकों को नियुक्त कर सकता है। इसलिए, यह बहुत ही जरूरी है कि नामावली संबंधित सभी रिकार्ड और प्रगति रिपोर्ट के साथ-साथ उस स्थान की अवस्थिति की सूची जहां पर फील्ड ऑपरेशन प्रगति पर हैं, हर समय अद्यतनीकृत होने चाहिए और प्रेक्षकों को उपलब्ध करवानी चाहिए।

9. मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रारूप प्रकाशन से काफी पहले अपनी सुविचारित टिप्पणियों तथा व्याख्यापरक ज्ञापन सहित निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन के संबंध में इस हेतु निर्धारित फार्मेट **1**-8 में निर्वाचकों संबंधी सूचना आयोग को प्रस्तुत की जाएगी। प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने जिले/विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए इसी प्रकार अध्ययन करेंगे और उसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अग्रेषित करेंगे और उसे नामावली प्रेक्षक/मुख्य निर्वाचन अधिकारी के संदर्भ हेतु पहले से तैयार रखेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हाल ही में संपन्न हुए विशेष अभियान, 2017 के दौरान दिनांक **01.01.2018** को परिकल्पित **18+** की जनसंख्या **(**आयु वर्गवार**)** आकलन हेतु आयोग द्वारा यथा-निर्धारित सामन कार्य-पद्धति को अपनाएगा। जैसा कि आयोग द्वारा सुझाव दिया गया है, राज्य/संघ शासित क्षेत्र जो इस कार्य-पद्धति से मत भिन्नता रखते हैं, वे उस परिस्थिति में अपनी स्वयं की कार्य-पद्धति का उपयोग कर सकते हैं, जब वे महसूस करते हैं कि संबंधित राज्य के संदर्भ में यह अधिक वैज्ञानिक और यथार्थवादी है और ऐसे मामले में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रारूप **1-8** में मौजूदा कार्य-पद्धति को रखने के पीछे के तर्काधार का उल्लेख करना होगा।

10. मुख्य निर्वाचन अधिकारी निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के लिए पहले से ही आयोग की लिखित अनुमति लेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा फामेंट **1-8** के साथ आयोग को इस आशय का अनुरोध **20** दिसंबर, 2016 तक किया जाएगा और फार्मेट **1-8** के साथ ज्ञापन/नोट के जरिए यह भी उपलब्ध कराया जाए कि अनवरत

अद्यतनीकरण के दौरान नामावली पुनरीक्षण प्रक्रिया से संबंधित निर्धारित लक्ष्यों को किस प्रकार किया गया और कमियों को पूरा करने के लिए क्या कार्यनीति अपनाई गई। इसे किसी भी हाल में अंतिम प्रकाशन की तारीख से कम से कम **7** दिन पहले कर लेना चाहिए ताकि अंतिम प्रकाशन से कम से कम **3** दिन पहले आयोग की अनुमति संसूचित की जा सके।

11. इसके अतिरिक्त यह भी नोट कर लिया जाए कि पुनरीक्षण के संबंध में सभी पत्र-व्यवहार तथा स्पष्टीकरण भारत निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव/सचिव **(**राज्यों/संघ शासित क्षेत्र के प्रभारी**)** को संबोधित किए जाएंगे जो कि न केवल संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अविलंब जवाब देंगे परंतु यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रभार के अधीन आने वाले राज्यों के नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम में कोई कमी नहीं रहे। वे बहुत सूक्ष्मता से पुनरीक्षण-पूर्व क्रियाकलापों तथा अपने संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम का अनुवीक्षण करेंगे, इसलिए मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को नियमित अंतराल पर, पुनरीक्षण प्रक्रिया पर अपेक्षित प्रगति रिपोर्ट अग्रेषित करते रहनी होगी।

12. हितधारकों को सुविधा देने तथा निर्वाचक पंजीकरण प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए, कंप्यूटरीकरण की चलन और फार्म**6**, 6क, 7, 8, तथा **8**क में प्राप्त सभी आवेदन फार्मों को दिन-प्रतिदिन आधार पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर डाला जाना जारी रहेगा। प्रत्येक आवेदन फॉर्म की वस्तु स्थिति सूची के प्रत्येक कतार पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, इस प्रयोजनार्थ प्रयुक्त वेब-एप्लीकेशन में भी इस बात की सुविधा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए कि सूची में किसी भी कतार पर क्लिक करने पर किसी भी नागरिक द्वारा संबंधित आवेदन प्रपत्र प्रिंट किए जा सकें।

13. डीईओ/ईआरओ को भारत निर्वाचन आयोग डैशबोर्ड पर उपलब्ध निर्धारित फार्मेट में प्रविष्टियाँ करके नियमित रूप से पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान हुई प्रगति की आवधिक रिपोर्टिंग उसमें दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार करनी चाहिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, इसकी अद्यतन स्थिति सुनिश्चित करने के लिए इसकी जाँच करेंगे। सभी संबंधितों के द्वारा इसके पूर्ण अनुपालन के लिए यह दोहराया जाता है कि डैशबोर्ड को हर समय अद्यतनीकृत रखा जाए। संबंधित अधिकारी की ओर से कोई गलती किए जाने में अनुशासनिक कार्रवाईयों के भागी बन जाएंगे/जाएंगी।

14. राजनैतिक दलों की और अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने मान्यता-प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल अभिकर्ताओं को थोक में आवेदन जमा कराने की अनुमति दी है बशर्ते बूथ लेवल एजेंट एक बार में/एक दिन में बूथ लेवल अधिकारी को **10** से अधिक फार्म जमा नहीं करवाएं। यदि बूथ लेवल एजेंट दावे और आपत्तियां दाखिल करने की पूरी अवधि के दौरान **30** से अधिक आवेदन/प्रपत्र जमा करते हैं तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने आप प्रति-सत्यापन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बूथ लेवल एजेंट ऐसे घोषणापत्र के साथ आवेदन प्रपत्रों की एक सूची भी जमा करवाएंगे कि उन्होंने आवेदन फार्म के ब्योरों का निजी तौर पर सत्यापन कर लिया है और वे इसकी यथातथ्यता के संबंध में संतुष्ट हैं।

15. इसके अतिरिक्त पुनरीक्षण कार्य से जुड़े सभी संबंधितों के मार्गदर्शन/अनुपालन के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश दोहराए जाते हैं:-

15.1 दावे और आपत्तियों की सूची का प्रदर्शन - **(क)** प्राप्त किए गए सभी दावों और आपत्तियों की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर डाली जानी चाहिए ताकि कोई भी नागरिक सूची देख सके और संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष आपत्तियां दाखिल कर सके। इसके अतिरिक्त:-

i. मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस तथ्य के संबंध में पर्याप्त प्रचार किया जाए कि दावों और आपत्तियों की सूची उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है और इस सूची के आधार पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष आपत्तियां की जा सकती हैं।

ii. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को राजनैतिक दलों के साथ बैठक करनी चाहिए और उन्हें मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर दावों और आपत्तियों की सूची प्रकाशित करने तथा दावों और आपत्तियों के निपटान के बारे में आयोग के नवीनतम अनुदेशों के बारे में सूचित करना चाहिए।

iii. राजनैतिक दलों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर दावों और आपत्तियों की सूची के प्रकाशन के संबंध में सूचित करना चाहिए।

iv. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सभी राजनैतिक दलों को दावों और आपत्तियों की सूची साप्ताहिक आधार पर उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इस प्रयोजनार्थ, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सभी राजनीतिक दलों की नियमित अंतराल पर बैठक बुलानी चाहिए और उन्हें दावों और आपत्तियों की सूची व्यक्तिगत रूप से सौंपनी चाहिए और पावती प्राप्त करनी चाहिए। यह भी जोड़ा जाए कि सूची संचयी न होकर बढ़ते हुए क्रम में होनी चाहिए।

15.2 दावों और आपत्तियों पर निर्णय-दावों और आपत्तियों पर केवल तभी निर्णय लिए जाने चाहिए जबकि निम्नलिखित में से सभी शर्तें परी कर दी जाएं-

i. दावों और आपत्तियों की सूची निम्नलिखित में से सभी पर प्रकाशित होने के बाद कम से कम सात सुस्पष्ट दिन बीत गए हों –

(1) सीईओ की वेबसाइट, प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए क्लिक करने योग्य सूचियों के रूप में।
(2) ईआरओ का नोटिस बोर्ड **(**आरईआर, 1960 के फार्म **9**, 10, 11 और **11**क में**)**
(3) मतदान केन्द्र का नोटिस बोर्ड **(**आरईआर, 1960 के फार्म **9**, 10, 11 और **11**क में**)**
(4) मृत्यु मामलों से इतर ऐसे सभी मामलों में उस व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत नोटिस तामील कर दिया है जिसका नाम हटाए जाने का प्रस्ताव है।

ii. राजनीतिक दलों को दावों और आपत्तियों की सूची दिए जाने के बाद कम से कम सात सुस्पष्ट दिन बीत गए हों।

iii. मृत्यु के कारण हुए सभी विलोपन, ईआरओ की संतुष्टि के अनुरूप तथ्यों का पता लगाए जाने के बाद ही किए जाने हैं।

15.3 विलोपनों पर निर्णयों से पहले सत्यापन-

i. सभी विलोपन, सिवाय उसके जो मृत्यु के आधार पर किए गए थे, फार्म **7** में अंतिम आदेश पारित किए जाने से पहले ऐसे अधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाने चाहिए जिनका रैंक तहसीलदार से कम न हो।

ii. विलोपनों के सभी मामले उस परिस्थिति में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अवश्य प्रति-सत्यापित की जानी चाहिए जब वे निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी में आते हों:-

- ऐसे मतदान केन्द्रों में विलोपन जिनके विलोपनों की संख्या मतदान केन्द्रों की मतदाता सूची में कुल निर्वाचकों से **2%** से अधिक हो।
- ऐसे विलोपन जिनमें एक ही व्यक्ति मामलों में **5** से अधिक मामलों में आपत्तिकर्ता हो।

iii. विलोपनों के मामले, उन किए गए आधार के पर्यवेक्षकीय अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित तरीके से प्रति-सत्यापित किए जाने चाहिए :-

(1) डिप्टी डीईओ या समतुल्य अधिकारी द्वारा **2%** सत्यापन

(2) डीईओ द्वारा **1%** सत्यापन

(3) निर्वाचक नामावली प्रेक्षक द्वारा **0.5%** सत्यापन

15.4 अनुवीक्षण –सीईओ के पोर्टल में निर्वाचक नामावली अनुवीक्षण आवेदन में यथा-उपलब्ध विहित फार्मेट में अनुवीक्षण रिपोर्ट, सीईओ/डीईओ/ईआरओ, यथा-मामला द्वारा आवधिक रूप में अद्यतनीकृत की जाएगी। सीईओ रिपोर्ट का संकलन करेंगे और उसे अपनी टिप्पणियों के साथ आयोग को भेजेंगे। डीईओ/सीईओ व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करेंगे कि सीईओ के पोर्टल के माध्यम से ईसीआई पोर्टल में ऑल इंडिया ई-नामावली अनुवीक्षण एप्लीकेशन में डाटा एंट्री अद्यतनीकृत की जाए।

16. इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विशेष अभियान **2017** के दौरान प्राप्त सभी फार्मों का निपटान किया जाएगा और नियत प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात पंजीकृत मृत्यु मामलों को निर्वाचक नामावलियों से हटाया जाएगा। निर्वाचक नामावलियाँ, 2018 के प्रारूप प्रकाशन से काफी पहले अनुपूरकों को तैयार किया जाएगा ताकि निस्तारण का परिणाम, इसके प्रकाशन के समय, एकीकृत प्रारूप निर्वाचक नामावली में प्रदर्शित हो सके।

17. युवा निर्वाचकों के लिए पहली बार के निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) की तैयारी **20 जनवरी**, 2018 तक कर ली जाए और इन्हें **25 जनवरी**, 2018 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर, इनके औपचारिक हेतु **22 जनवरी**, 2018 तक बी एल ओ/ई आर ओ/ डी ई ओ इत्यादि को सौंप दिए जाएं।

18. मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और सभी अधिकारियों से यह भी अनुरोध है कि वे सम्प्रेषण के शीघ्र एवं सटीक आदान-प्रदान हेतु वे ई-मेल सुविधा का बड़े पैमाने पर उपयोग करें।

19. इस पत्र की एक प्रति तत्काल उपयुक्त आवश्यक कार्रवाई करने के लिए राज्य में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों में परिचालित की जानी चाहिए।

कृपया पावती दें।

भवदीय

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)
प्रधान सचिव

पत्र सं. 23/पत्र/ईसीआई/प्रकार्या./ईआरडी-ईआर2017(खण्ड-II)

अनुबंध, दिनांक : 23 अगस्त, 2017

1 जनवरी, 2018 की अर्हक तिथि के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों के विशेष सार पुनरीक्षण के लिए अनुसूची (गुजरात और हिमाचल प्रदेश के सिवाय)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	पुनरीक्षण के चरण						
		निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन	दावे और आपत्तियां को दाखिल करने के लिए अवधि	ग्राम सभा/स्थानीय निकायों और आर डब्लयू ए की बैठकों आदि में फोटो निर्वाचक नामावलियों के संगत भाग/ खंड का पढ़ा जाना एवं नामों का सत्यापन	दावें एवं आपत्तियां प्राप्त करने के लिए राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों के साथ विशिष्ट अभियान तिथियां	द्वारा दावें एवं आपत्तियों का निपटान	डाटाबेस को अद्यतन करना, फोटोग्रॉफ का आमेलन (मर्जर) नियंत्रण तालिकाओं को अद्यतनीकृत करना एवं पूरक सूची को तैयार और मुद्रित करना	को निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आन्ध्र प्रदेश	1.11.2017	1.11.2017 से 25.11.2017 तक	7.11.2017 और 14.11.2017	12.11.2017 और 19.11.2017	10.12.2017	25.12.2017	05.01.2018
2	अरूणाचल प्रदेश	3.10.2017	3.10.2017 से 23.10.2017 तक	6.10.2017 और 13.10.2017	8.10.2017 और 15.10.2017	15.11.2017	20.12.2017	05.01.2018
3	असम	16.10.2017	16.10.2017 से 15.11.2017 तक	20.10.2017 और 3.11.2017	22.10.2017 और 5.11.2017	15.12.2017	22.12.2017	12.01.2018
4	बिहार	4.10.2017	4.10.2017 से 31.10.2017 तक	11.10.2017 और 18.10.2017	14.10.2017 और 21.10.2017	30.11.2017	26.12.2017	10.01.2018
5	छत्तीसगढ़	23.10.2017	23.10.2017 से 22.11.2017 तक	29.10.2017	5.11.2017	12.12.2017	30.12.2017	10.01.2018
6	गोवा	18.09.2017	18.09.2017 से 17.10.2017 तक	19.09.2017 और 31.10.2017	24.09.2017 और 8.10.2017	17.11.2017	16.12.2017	08.01.2018
7	हरियाणा	3.10.2017	3.10.2017 से 2.11.2017 तक	10.10.2017 और 17.10.2017	15.10.2017 और 29.10.2017	2.12.2017	27.12.2017	10.01.2018
8	जम्मू-कश्मीर	03.10.2017	03.10.2017 से 01.11.2017 तक	04.10.2017 और 18.10.2017	14.10.2017 और 21.10.2017	30.11.2017	15.12.2017	01.01.2018
9	झारखण्ड	16.10.2017	16.10.2017 से 15.11.2017 तक	23.10.2017 और 7.11.2017	29.10.2017 और 5.11.2017	11.12.2017	11.12.2017 से 29.12.2017 तक	08.01.2018
10	कर्नाटक	25.10.2017	25.10.2017 से 24.11.2017 तक	03.11.2017 और 15.09.2017	05.11.2017 और 19.11.2017	20.12.2017	11.01.2018	12.01.2018
11	केरल	31.10.2017	31.10.2017 से 30.11.2017 तक	04.11.2017 और 18.09.2017	11.11.2017 और 26.11.2017	20.12.2017	30.12.2017	15.01.2018
12	मध्य प्रदेश	4.10.2017	4.10.2017 से 3.11.2017 तक	11.10.2017 और 18.10.2017	8.10.2017 और 29.10.2017	30.11.2017	20.12.2017	10.01.2018
13	महाराष्ट्र	3.10.2017	3.10.2017 से 3.11.2017 तक	7.10.2017 और 13.10.2017	8.10.2017 और 22.10.2017	5.12.2017	20.12.2017	05.01.2018
14	मणिपुर	4.10.2017	4.10.2017 से 3.11.2017 तक	7.10.2017 और 20.10.2017	8.10.2017 और 22.10.2017	24.11.2017	8.12.2017	05.01.2018
15	मेघालय	27.09.2017	27.09.2017 से 31.10.2017 तक	6.10.2017 और 18.10.2017	7.10.2017 और 21.10.2017	13.11.2017	19.12.2017	10.01.2018
16	मिजोरम	15.09.2017	15.09.2017 से 13.10.2017 तक	16.09.2017 और 30.09.2017	23.09.2017 और 07.10.2017	10.11.2017	20.12.2017	15.01.2018
17	नागालैण्ड	3.10.2017	3.10.2017 से 31.10.2017 तक	13.10.2017 और 27.10.2017	14.10.2017 और 28.10.2017	30.11.2017	20.12.2017	05.01.2018
18	उड़ीसा	18.09.2017	18.09.2017 से 31.10.2017 तक	20.09.2017 और 29.10.2017	8.10.2017, 15.10.2017 और 22.10.2017	30.11.2017	28.12.2017	15.01.2018
19	पंजाब	3.10.2017	3.10.2017 से 02.11.2017 तक	07.10.2017 और 14.10.2017	08.10.2017 और 15.10.2017	01.12.2017	05.12.2017 से 20.12.2017 तक	08.01.2018
20	राजस्थान	30.10.2017	30.10.2017 से 20.11.2017 तक	11.11.2017 और 18.11.2017	12.11.2017 और 19.11.2017	04.12.2017	05.12.2017 से 29.12.2017 तक	05.01.2018
21	सिक्किम	18.09.2017	18.09.2017 से 17.10.2017 तक	20.09.2017 और 06.10.2017	24.09.2017 और 08.10.2017	18.11.2017	15.12.2017	05.01.2018
22	तमिलनाडु	3.10.2017	3.10.2017 से 31.10.2017 तक	7.10.2017 और 21.10.2017	08.10.2017 और 22.10.2017	10.12.2017	11.12.2017 से 03.01.2018 तक	05.01.2018
23	तेलंगाना	1.11.2017	1.11.2017 से 25.11.2017 तक	7.11.2017 और 14.11.2017	12.11.2017 और 19.11.2017	10.12.2017	25.12.2017	05.01.2018
24	त्रिपुरा	24.08.2017	24.08.2017 से 22.09.2017 तक	09.09.2017 और 16.09.2017	27.08.2017, 03.09.2017 और 17.09.2017	31.10.2017	30.11.2017	05.01.2018
25	उत्तराखण्ड	10.10.2017	10.10.2017 से 10.11.2017 तक	17.10.2017 और 24.10.2017	22.10.2017 और 4.11.2017	30.11.2017	10.01.2018	15.01.2018
26	उत्तर प्रदेश	15.09.2017	15.09.2017 से 30.10.2017 तक	16.09.2017, 03.10.2017 और 24.10.2017	17.09.2017, 08.10.2017 और 29.10.2017	4.12.2017	04.12.2017 से 26.12.2017 तक	02.01.2018
27	पश्चिम बंगाल	22.08.2017	22.08.2017 से 13.09.2017 तक	26.08.2017 और 09.09.2017	27.08.2017 और 10.09.2017	15.11.2017	15.12.2017	05.01.2018

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	पुनरीक्षण के चरण						
		निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन	दावे और आपत्तियां को दाखिल करने के लिए अवधि	ग्राम सभा/स्थानीय निकायों और आर डब्लयू ए की बैठकों आदि में फोटो निर्वाचक नामावलियों के संगत भाग/ खंड का पढ़ा जाना एवं नामों का सत्यापन	दावें एवं आपत्तियां प्राप्त करने के लिए राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों के साथ विशिष्ट अभियान तिथियां	द्वारा दावें एवं आपत्तियों का निपटान	डाटाबेस को अद्यतन करना, फोटोग्रॉफ का आमेलन (मर्जर) नियंत्रण तालिकाओं को अद्यतनीकृत करना एवं पूरक सूची को तैयार और मुद्रित करना	को निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	31.10.2017	31.10.2017 से 30.11.2017 तक	04.11.2017 और 18.11.2017	11.11.2017 और 25.11.2017	15.12.2017	30.12.2017	13.01.2018
29	छत्तीसगढ़	3.10.2017	3.10.2017 से 31.10.2017 तक	06.10.2017 और 13.10.2017	08.10.2017 और 22.10.2017	30.11.2017	22.12.2017	10.01.2018
30	दमन व द्वीप	18.09.2017	18.09.2017 से 17.10.2017 तक	22.09.2017 और 06.10.2017	22.09.2017 और 07.10.2017	17.11.2017	15.12.2017	05.01.2018
31	दादरा एवं नागर हवेली	15.09.2017	15.09.2017 से 13.10.2017 तक	16.09.2017 और 07.10.2017	17.09.2017 और 08.10.2017	1.12.2017	1.1.2018	05.01.2018
32	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	23.10.2017	23.10.2017 से 13.11.2017 तक	28.10.2017 और 04.11.2017	29.10.2017 और 5.11.2017	11.12.2017	26.12.2017	08.01.2018
33	लक्षद्वीप	15.09.2017	15.09.2017 से 16.10.2017 तक	18.09.2017 और 03.10.2017	24.09.2017 और 15.10.2017	20.11.2017	20.12.2017	10.01.2018
34	पुडुचेरी	15.09.2017	15.09.2017 से 14.10.2017 तक	16.09.2017 और 10.10.2017	24.09.2017 और 08.10.2017	16.11.2017	15.12.2017	05.01.2018